भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1701

उत्तर देने की तारीख : 29.07.2026

पीएम विकास योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताएं

1701. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र में पीएम विकास योजना और पूर्ववर्ती सीखो और कमाओ योजना के तहत अनियमितताओं, धन के दुरुपयोग या धोखाधड़ी से कार्यान्वयन की शिकायतें या रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अपनाई गई सत्यापन प्रणाली के साथ-साथ महाराष्ट्र में जारी की गई धनराशि, सूचीबद्ध की गई परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों और प्रशिक्षित लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या काल्पनिक/गैर-कार्यात्मक प्रशिक्षण केंद्रों, बढ़ा-चढ़ाकर बिल बनाने, लाभार्थी रिकॉर्ड में हेरफेर, आधार के दुरुपयोग या उन्हीं अनुदेशकों को कई केंद्रों पर तैनात करने के मामलों का पता चला है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उस पर क्या कार्रवाई की गई;

(घ) क्या महाराष्ट्र में कोई संपरीक्षा, भौतिक सत्यापन या सतर्कता जांच की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) दुरुपयोग की गई धनराशि की वसूली करने, जवाबदेही तय करने और निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ङ): प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका कार्यान्वयन सूचीबद्ध परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है एवं इसके अंतर्गत राज्य-वार अथवा संघ राज्य क्षेत्र-वार निधियों का आवंटन नहीं किया जाता है। पीएम विकास योजना के दिशा-निर्देशों को जनवरी, 2025 में अनुमोदित किया गया था तथा तत्पश्चात योजना का कार्यान्वयन शुरू किया गया। अब तक, महाराष्ट्र राज्य में पीएम विकास योजना के अंतर्गत 5,304 लाभार्थियों का नामांकन किया जा चुका है। वर्तमान में, महाराष्ट्र राज्य में पीएम विकास योजना के अंतर्गत 51 प्रशिक्षण केंद्र कार्यशील हैं। मंत्रालय CPGRAM, RTI, SIDH पोर्टल आदि के सुव्यवस्थित तंत्रों के माध्यम से अपनी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन संबंधी शिकायतें एवं फीडबैक प्राप्त करता है। पीएम विकास सहित प्राप्त अन्य सभी योजनाओं से संबंधित शिकायतों पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु उनकी जांच की जाती है।
